7201

5340000/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

04 OCT 2012

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 143179

Stamp.
Rs. 53,40,000/-

गाजियाबाद

PREPARIED BY

CHEKED BY

ज्ञानेन्द्र वर्मा
संयुक्त सचिव

सचिव
ए०एल०टी० सहकारी आवास समिति लि०
गाजियाबाद (उ०प्र०)

Left Hand Fingers.

M/s A.L.T. Sehkari Awaas Samiti Ltd.
Rajnagar G2B

नं. 23 रु. 21 में शामिल किया गया।
5 OCT 2012
रोकड़िया
कोषागार गौतम बुद्ध नगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कार्यालय कोषागार
04 OCT 2012
वरिष्ठ कोषाधिकारी
गौतम बुद्ध नगर

रु. 25000
पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते
INDIA

Rs. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 143181

प्राधिकरण

ज्ञानेन्द्र वर्मा
संयुक्त सचिव

सचिव
ए एल टी० सहकारी आवास समिति लि०
गाजियाबाद (उ०प्र०)

नं. 25 रू. .... में शामिल किया गया।
23
5 OCT 2012
रोकड़िया
★ कोषागार गौतम बुद्ध नगर ★

विक्रेता

Registration No.: 7201 Year : 2,012 Book No. : 1

0101 आर के मिश्रा प्रतिनिधि गाजियाबाद विकास प्रा0 द्वारा ज्ञानेन्द्र द

एच एन मिश्रा
गाजियाबाद विकास प्रा0
नौकरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

04 OCT 2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 143180

विकास

ज्ञानेन्द्र वर्मा
संयुक्त सचिव

आवास समिति लि०
गाजियाबाद (उ०प्र०)

नं. 24 रू. ....में शामिल
किया गया।
23
15 OCT 2012
रोकड़िया
कोषागार गौतम बुद्ध नगर

विक्रय पत्र

75,770,790.00 /	75,770,790.00	10,000.00	200	10,200.00	10,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री मै0 ए0एल0टी0 सह0 आ0स0लि0 द्वारा अरविन्द कुमार त्यागी (सचिव)
पुत्र श्री रामनाथ त्यागी
व्यवसाय नौकरी
निवासी स्थायी तृतीय 67 एएलटी कम्प0 गाजियाबाद
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/11/2012 समय 1:00PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राजेन्द्र सिंह)
उप-निबन्धक द्वितीय
नोएडा
3/11/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री आर के मिश्रा
प्रतिनिधि श्री गाजियाबाद विकास प्रा0 द्वारा ज्ञानेन्द्र वर्मा
पुत्र श्री एच एन मिश्रा
पुत्र/पत्नी श्री पेशा नौकरी

क्रेता

श्री मै0 ए0एल0टी0 सह0 आ0स0लि0 द्वारा अरविन्द कुमार त्यागी (सचिव)
पुत्र श्री रामनाथ त्यागी
पेशा नौकरी
निवासी तृतीय 67 एएलटी कम्प0 गाजियाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री मदन लाल
पुत्र श्री आर एस वर्मा
पेशा नौकरी
निवासी मकान नं0 4/3 गोदावरी एएलटी कैम्पस राज नगर

व श्री पवन कुमार चौहान
पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह
पेशा नौकरी
निवासी एस ए 48 शास्त्री नगर गाजियाबाद

ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राजेन्द्र सिंह)
उप-निबन्धक द्वितीय
नोएडा

नं. 26 रु. .... में शामिल किया गया।
23
15 OCT 2012
रोकड़िया
★ कोषागार गौतम बुद्ध नगर ★

क्रेता

Registration No. : 7201 Year : 2,012 Book No. : 1

0201 मे0 ए0एल0टी0 सह0 आ0स0लि0 द्वारा अरविन्द कुमार त्यागी

रामनाथ त्यागी

तृतीय 67 एएलटी कम्प0 गाजियाबाद

नौकरी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद ।

विक्रय विलेख

यह विलेख आज दिनांक 19/10/12 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास मार्ग, हापुड़ रोड, गाजियाबाद जो कि राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11, सन् 1973 पुर्नविधायन, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–30 सन् 1974 की धारा–4 के अधीन गठित एक निकाय है, के प्राधिकृत अधिकारी सम्प्रति के माध्यम से (जिसे आगे चल कर इस विलेख में विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक उस विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो विक्रेता उसके प्रशासकों अधिशासकों विधिक प्रतिनिधियों एवं समुनदेशितों से लिया जायेगा) ।

.... विक्रेता

एवं

मेसर्स ए0एल0टी0 सहकारी आवास समिति लि0, इन्दिरापुरम द्वारा–सचिव श्री अरविन्द कुमार त्यागी पुत्र श्री रामनाथ त्यागी निवासी तृतीय–67, ए0एल0टी0 कम्पाउण्ड, गाजियाबाद (जिसे तब तक उस विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो, केता स्वंय उसके वारिसों उत्तराधिकारियों विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितो से लिया जायेगा) केता के हित में निष्पादित किया गया ।

...............केता

चूँकि विकेता द्वारा गाजियाबाद विकास क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मोहिउद्दीनपुर कनावनी की 229 एकड़ भूमि इन्दिरापुरम विस्तार हेतु अधिग्रहीत की गयी है । अधिग्रहीत भूमि में द्वितीय पक्ष के स्वामित्व वाली भूमि 31690 वर्ग मीटर

सचिव
ए. एल. टी. सहकारी आवास समिति लि.
गाजियाबाद (उ0प्र0)

ज्ञानेन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव

सचिव
ए. एल. टी. सहकारी आवास समिति लि.
गाजियाबाद (उ0प्र0)

भूमि भी सम्मिलित थी । द्वितीय पक्ष एक सहकारी आवास समिति है तथा शासन द्वारा शासनादेश संख्या 4128/9–आ–3–2000–20एलए/92(अ.ब.) दिनांक 22/10/2002 द्वारा निबन्धित सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन हेतु नीति घोषित की गयी थी जिस सन्दर्भ में प्रथम पक्ष द्वारा प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 20/2/03 को मद संख्या–60 पर तीन सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र समस्त विवरण के साथ बोर्ड के समक्ष इस प्रस्ताव के साथ रखे गये कि शासनादेश के अनुसार समायोजन की कार्यवाही अर्जन प्रकिया पूर्ण होने के बाद की जायेगी। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा शासनादेश संख्या 2381/9–आ–3–4–64एल.ए./2004 दिनांक 26/7/04 द्वारा शासन द्वारा अर्जन के उपरान्त समायोजन किये जाने से सम्बन्धित नीतिगत शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण स्तर से निर्णय लेने हेतु सूचित किया गया ।

इन्दिरापुरम विस्तार हेतु अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के भू–अर्जन अधिनियम की धारा–4/17 की अधिसूचना दिनांक 16/10/04 को एवं धारा–6/17 की अधिसूचना दिनांक 28/11/05 को जारी हुई जिसके विरूद्ध द्वितीय पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 4655/2006 ए0एल0टी0 सहकारी आवास समिति लि0, इन्दिरापुरम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । याचिका के विचारण के दौरान प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष दिनांक 2/7/10 को प्रस्ताव रखा गया जिसके अनुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार विमर्श उपरान्त उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया ।

उपरोक्त शासनादेश व प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24/9/12 को केता के पक्ष में उसकी अधिग्रहीत भूमि के 50 प्रतिशत के सम्तुल्य क्षे0 15845 वर्ग मीटर समायोजन एवं आवंटन का निर्णय/अनुमोदन प्रदान किया गया जिस कम में दिनांक 24/9/12 को आवंटन पत्र भूखण्ड संख्या एस0एल0–2 जिसका स्थल चित्र इस विलेख के अन्त में संलग्न है, जारी किया गया । केता की अधिग्रहीत भूमि का कब्जा दिनांक 30/1/12 को जी0डी0ए0 द्वारा प्राप्त किया गया है । केता को प्रदान की जाने वाली भूमि को इस विलेख के अन्त में अनुसूची में आवंटित भूखण्ड को दर्शाया गया है ।

भूखण्ड संख्या एस0एल0–2 इन्दिरापुरम विस्तार के समायोजन/आवंटन की शर्तों के अनुसार केता को वाह्य विकास शुल्क व समायोजन शुल्क रू0 6,55,98,300/– एवं लीज किराया व फ्रीहोल्ड चार्ज 12 प्रतिशत रू0 1,01,72,490/– कुल अंकन 7,57,70,790/– (सात करोड़ सत्तावन लाख सत्तर

सचिव
ए०एल०टी० सहकारी आवास समिति लि०
गाजियाबाद (उ०प्र०)

ज्ञानेन्द्र वर्मा
संयुक्त सचिव

हजार सात सौ नब्बे मात्र) की धनराशि जमा कराने होंगे जो केता द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा करायी जा चुकी है जिसकी पावती इस विलेख के माध्यम से विक्रेता स्वीकार करता है ।

यह विलेख निम्न तथ्यों का साक्षी है :–

1– यह कि विक्रेता ने केता को भूखण्ड संख्या एस0एल0–2 क्षेत्रफल 15845 वर्ग मीटर इन्दिरापुरम विस्तार योजना विक्रेता की अधिग्रहीत भूमि जिसका विवरण अनुसूची में अंकित है, के विकल्प में विकास शुल्क, समायोजन शुल्क एवं लीज किराया व फ्रीहोल्ड शुल्क प्राप्त कर आवंटित किया गया है जो विवाद रहित सम्पदा है तथा विक्रेता को केता के पक्ष में समायोजित/आन्तरित करने का पूर्ण अधिकार है इस विलेख के माध्यम से केता को अन्तरित की जा रही है।

2– यह कि इस विलेख के अनुसूची में अंकित भूमि के विकल्प में 50 प्रतिशत आवंटित भूमि क्षे0 15845 वर्ग मीटर भूखण्ड संख्या एस0एल0–2 का स्वामी केता होगा तथा भूमि का कब्जा नियमानुसार इस विलेख के निष्पादन के पश्चात दिया जायेगा । अवशेष भूमि का स्वामी विक्रेता रहेगा ।

3– यह कि केता को भवन निर्माण उपविधि के अनुसार प्राधिकरण से समायोजन पत्र दिनांक 24/9/12 की शर्तो के अनुसार ही मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही आवासीय निर्माण करना होगा तथा स्वीकृत भू–उपयोग के विपरीत निर्माण करने पर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विक्रेता को अधिकार होगा ।

4– यह कि इस विलेख के स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु भूमि का प्रतिकर भू–अर्जन व्यय सहित, लोकेशन चार्ज, बाह्य विकास शुल्क एवं उक्त राशि के योग पर नियमानुसार देय लीज किराया व फ्रीहोल्ड शुल्क की आंकलित धनराशि अंकन 7,57,70,790/– रूपये पर नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है ।

5– यह कि इस विलेख में सन्दर्भित सम्पत्ति के विषय में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इस विलेख में व्यक्त की गयी सहमति के आधार पर मध्यस्थ होंगे

सचिव
ए॰एल॰टी॰ सहकारी आवास समिति लि॰
गाजियाबाद (उ॰प्र॰)

ज्ञानेन्द्र वर्मा
संयुक्त सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांकः 212 /12/भू0अ0अ0/12 दिनांकः-25/9/12

प्रेषक,

विशेष कार्याधिकारी (डी0),
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा में,

श्री अरविन्द कुमार त्यागी,
सचिव,
ए0एल0टी0 सहकारी आवास समिति,
गाजियाबाद।

विषयः राजस्व ग्राम महीउददीनपुर कनावनी के खसरा सं0–294, 297, 308, 309, 310, 311, 312, 317, 318, 323, 323/705, 329, 326 एवं 327 की समिति के स्वामित्व की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.12 के क्रम में अवगत कराना है कि उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 24.09.12 के क्रम में आपको भूखण्ड सं0-एस0एल0-2 क्षे0-15845 वर्गमीटर समायोजन के तहत आवंटित किया गया है। कृपया तदनुसार अवगत होते हुए प्राधिकरण की देय धनराशि जमा कराते हुए विक्रय-विलेख सम्पादित कराने का कष्ट करें।

(डी0पी0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

और उपाध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा तथासमय–समय पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं शासनादेश द्वारा जारी किये गये नियमों विनियमों एवं प्राविधानों का पालन करेगा ।

प्रमाण के रूप में इस विकय विलेख पर विक्रेता के लिए एवं उसकी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी तथा क्रेता ने स्वयं अपने स्वस्थ चित्त होकर इस विलेख को पढ़कर व समझकर अपने हस्ताक्षर तथा विक्रेता व क्रेता की सील भी साक्षियों की उपस्थिति में लगायी गयी ।

"अनुसूची

खसरा नम्बरान 294, 297, 308, 309, 310, 311, 312, 317, 318, 323/705, 323, 324, 326 एवं 327 मोहिउद्दीनपुर कनावनी की अधिग्रहीत भूमि के विकल्प में अधिग्रहीत भूमि की 50 प्रतिशत भूमि क्षे0 15845 वर्ग मीटर जिसका भूखण्ड संख्या एस0एल0–2, इन्दिरापुरम विस्तार जिसकी सीमायें निम्न हैं :–

पूरब भूखण्ड सं0 : 45 मीटर वाईड रोड । पश्चिम भूखण्ड सं0 : सी.पी.डब्लू.डी. सहकारी आवास समिति की भूमि ।

उत्तर भूखण्ड सं0 : एस0टी0पी0 । दक्षिण भूखण्ड सं0 : जी0डी0ए0, 45 मीटर वाईड रोड ।

आवंटन पत्र दिनांक 24/9/12 की प्रति संलग्न है।

साक्षीगण :–

1– आई० एस० गंगोत्रा
पुत्र श्री बी० एस० गंगोत्रा
R/o 16बी/454,
वसुन्धरा गाजियाबाद (उ०प्र०)

(विक्रेता) ज्ञानेन्द्र वर्मा
संयुक्त सचिव

(क्रेता)
सचिव
एल.टी. सहकारी आवास समिति लि.
गाजियाबाद (उ०प्र०)

2– मदन लाल
पुत्र श्री आर० एस० शर्मा
मकान न– 4/3
गोदावरी कम्पा
हिन्द कैम्पस राजनगर
गाजियाबाद (उ०प्र०)

1. पवन कुमार चौहान
पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह
एस० ई०– 48
शास्त्री नगर
गाजियाबाद (उ०प्र०)

आज दिनांक **03/11/2012** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **4473**

पृष्ठ सं. **371** से **840** पर कमांक **7201**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राजेन्द्र सिंह)

उप-निबन्धक द्वितीय

नोएडा

3/11/2012